भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1837
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

विधि आयोग की 17वीं रिपोर्ट

†**1837. किशन कपूर :**
श्री भागीरथ चौधरी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :
(क) क्या विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि आम चुनाव और विधानसभा चुनावों के साथ-साथ हर साल एक या दूसरे राज्यों में लगातार चुनाव न केवल प्रशासन और नीतिगत निर्णय को प्रभावित करते हैं बल्कि देश के सरकारी खजाने पर भी भारी बोझ डालते है ;
(ख) यदि हां, तो 16वीं लोकसभा चुनाव के साथ-साथ कराए गए विधानसभा चुनावों की कुल संख्या कितनी है और उस पर कितना खर्च किया गया है ;
(ग) 2014-2019 के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितने राज्यों में चुनाव हुए और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा कुल कितने दिनों चुनाव पूरे हुए ;
(घ) क्या विधि आयोग ने भी अपनी 170वीं रिपोर्ट मे लोक सभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया का समर्थन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ङ) क्या सरकार ने राजनीतिक और चुनावी सुधारों से संबंधित रिपोर्ट को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(च) क्या लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में शासन में स्थिरता और निर्वाचन प्रणाली में सुधार के उपायों पर चर्चा की है और अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि लगभग प्रत्येक वर्ष निर्वाचन कराने से शासन और अर्थव्यवस्था की क्षति होती है ।

(ख) और (ग) : 2014 से 2019 के दौरान हुए आम-निर्वाचन का वर्ष वार विवरण दर्शाने वाला कथन और निर्वाचन संपन्न कराने में लगे दिनों की संख्या उपाबंध 'क' में संलग्न है । सरकार की नीति के अनुसार, लोकसभा निर्वाचन में उपगत व्यय पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है जब ऐसे निर्वाचन स्वतंत्र रुप से कराए जाते हैं । तथापि, राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र विधान सभाओं पर होने वाले व्यय को आधे-आधे आधार पर केवल तभी बांटा जाता है जब ये निर्वाचन लोक सभा निर्वाचन के साथ-साथ कराए जाते हैं । लोकसभा का आम निर्वाचन कराने के लिए, राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र (विधान-मंडल के साथ) की सरकारें अपनी मांगों को अनंतिम अनुमान के रुप में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित करती है । केन्द्रीय सरकार राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों से प्राप्त मांगो और निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निधियां जारी करती है । यह अभ्यास

नियमित प्रकृति का है और वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निधियां जारी की जाती है । राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र की सरकारें लोकसभा के आम निर्वाचन कराने के लिए अपनी संचित निधि से खर्च करती है और उसके बाद केन्द्रीय सरकार को उपगत की गई रकम की प्रतिपूर्ति के लिए दावा करती है । निर्वाचन खातोें को संबंधित राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों के महालेखाकार के कार्यालय से लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही निपटाया जाता है । तथापि, 16वीं लोकसभा निर्वाचन अर्थात् 2014-15 और 2015-16 के दौरान निर्वाचन खातों के निपटान के लिए अनंतिम जारी रकम नीचे दी गई है :

	रकम (करोड़ में)
वर्ष	अनंतिम जारी रकम
2014-2015	506.23
2015-2016	307.30
2016-2017	1941.14

इसके अतिरिक्त, 16वीं लोकसभा निर्वाचन के साथ हुए राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र विधान सभा निर्वाचनों के संबंध में उपगत व्यय, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र (वर्ष 2014-2015 के लिए) के अनुसार निम्नलिखित रकम उपगत की गई हैं:

	रकम (करोड़ में)
राज्य	रकम
आंध्र प्रदेश	355,32,22,824
अरुणाचल प्रदेश	53,45,89,945
ओड़िशा	66,92,44,633
सिक्किम	3,26,11,170

(घ) से (च) : जी हां, विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट 1999 में, निर्वाचन विधियों के सुधारों पर प्रस्तुत की, अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि प्रत्येक पांच वर्षों में एक निर्वाचन का लक्ष्य राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के कार्यकाल को चरणवार कम या विस्तारित करके प्राप्त करना है । इसके अतिरिक्त, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग ने भारत के निर्वाचन आयोग सहित विभिन्न पणधारियों के परामर्श से लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ निर्वाचन के मुद्दे की जांच की थी। समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में इससे संबंधित कतिपय सिफारिशें की है । यह मामला अब आगे की जांच के लिए विधि आयोग को भेजा गया है जिससे लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के साथ-साथ निर्वाचन की रुपरेखा के लिए व्यावहारिक रोड मैप तैयार किया जा सके ।

****

उपाबंध- 'क'

2014 से 2019 तक वर्ष-वार हुए आम निर्वाचन को दर्शाने वाले विवरण

लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के आम निर्वाचन, 2014		
क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र के नाम	निर्वाचन पूरा करने में लगे दिनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश (लोक सभा के साथ)	85
2.	अरुणाचल प्रदेश (लोक सभा के साथ)	85
3.	ओड़िशा (लोक सभा के साथ)	85
4.	सिक्किम (लोक सभा के साथ)	85
5.	झारखंड	66
6.	जम्मू-कश्मीर	66
7.	हरियाणा	41
8.	महाराष्ट्र	41
वर्ष 2015		
9.	बिहार	65
10.	नई दिल्ली	32
वर्ष 2016		
11.	असम	79
12.	केरल	79
13.	पुडुचेरी	79
14.	तमिलनाडु	79
15.	पश्चिमी बंगाल	79
वर्ष 2017		
16.	गुजरात	57
17.	हिमाचल प्रदेश	70
18.	गोवा	71
19.	मणिपुर	71
20.	पंजाब	71
21.	उत्तर प्रदेश	71
22.	उत्तराखंड	71
वर्ष 2018		
23.	छत्तीसगढ़	69
24.	मध्य प्रदेश	69
25.	राजस्थान	69
26.	मिजोरम	69
27.	तेलंगाना	47
28.	त्रिपुरा	47
29.	मेघालय	47
30.	नागालैंड	47
लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के आम निर्वाचन, 2019		
31.	आंध्र प्रदेश (लोक सभा के साथ)	79
32.	अरुणाचल प्रदेश (लोक सभा के साथ)	79
33.	ओड़िशा (लोक सभा के साथ)	79
34.	सिक्किम(लोक सभा के साथ)	79
35.	झारखंड	56
36.	हरियाणा	37
37.	महाराष्ट्र	37

****